

office copy

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग
दिल्ली सरकार
एल.एम.बंध कार्यालय परिसर, शास्त्री नगर, दिल्ली -110031

सं. : सी.ई.एफ./एस.एस.डब्ल्यू./वि.स.सत्र/2023/

दिनांक:

सेवा में,

उप/सचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली-54

विषय:- विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 43 दिनांक 15.12.2023 के संबंध में ।

महोदय,

कृपया आपके कार्यालय के ई-मेल दिनांक 05.12.2023 का अवलोकन करें जिसके साथ उपरोक्त अतारांकित प्रश्न संख्या 43 सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को भेजा गया है । इस संबंध में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के उत्तर की 100 प्रतियां सूचनार्थ हेतु संलग्न है

यह उत्तर माननीय मंत्री (सि. एवं बा. नि.) से मिली स्वीकृति अनुसार भेजा जाता है ।

संलग्न: उपरोक्त ।

भवदीय,

शिव कुमार

(शिव कुमार)

कार्य सर्वेक्षक/नोडल अधिकारी

सं. : सी.ई.एफ./एस.एस.डब्ल्यू./वि.स.सत्र/2023/ 9487-90

13/12/23

प्रतिलिपि:-

1. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली-2 को प्रश्न के उत्तर की प्रतिलिपि सहित सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रधान सचिव, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली सरकार, 5/9, अण्डर हिल रोड, दिल्ली -110054 को प्रश्न के उत्तर की प्रतिलिपि सहित सूचनार्थ प्रेषित ।
3. निदेशक, सूचना एवं प्रसारण निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली-54 को प्रश्न के उत्तर की प्रतिलिपि सहित सूचनार्थ प्रेषित ।

शिव कुमार

(शिव कुमार)

कार्य सर्वेक्षक/नोडल अधिकारी

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग
दिल्ली सरकार
एल.एम.बंध कार्यालय परिसर, शास्त्री नगर, दिल्ली ।

अतारांकित प्रश्न संख्या : 43

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण

दिनांक : 15.12.2023

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री मोहन सिंह बिष्ट

क्या माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

क्र.स.	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि करावल नगर विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत गंदे पानी की निकासी सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के नालों के माध्यम से की जाती है;	करावल नगर विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के सभी नाले बरसाती नाले हैं । परंतु क्षेत्र का सारा गंदा पानी इन्ही नालों में आता है ।
(ख)	यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि करावल नगर विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले रिलीफ ड्रेन, बंध ड्रेन, बिहारीपुर ड्रेन तथा स्केप ड्रेन की सफाई न होने के कारण पूरे क्षेत्र में गंदा पानी बहता रहता है;	रिलीफ ड्रेन, बंध ड्रेन, बिहारीपुर ड्रेन तथा स्केप ड्रेन की सफाई पुरे वर्ष कराई जाती है जिसमें सफाई कार्य, रखरखाव कार्य इत्यादि शामिल हैं । सभी कालोनियों की नालियों की सफाई रखरखाव दिल्ली नगर निगम के अर्न्तगत आता है परंतु सभी नालियों की निकासी रिलीफ ड्रेन, बंध ड्रेन, बिहारीपुर ड्रेन तथा स्केप ड्रेन में होती है ।
(ग)	यदि हाँ, तो अब तक इन नालों की सफाई न कराये जाने के क्या कारण हैं;	उपरोक्तनुसार - 'ख'
(घ)	क्या यह भी सत्य है कि इन नालों को और अधिक चौड़ा करने के लिये राजस्व विभाग को पैसा दिया गया था फिर भी इसे चौड़ा नहीं किया गया; और	जी नहीं, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार को नालो को चौड़ा करने के संबंध में कोई पैसा नहीं दिया गया है
(ङ)	यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?	उपरोक्तनुसार - 'घ'

शिव कुमार

(शिव कुमार)

नोडल अधिकारी
कार्यालय मुख्य अभियन्ता
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग
रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार